रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1438] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2017/वैशाख 29, 1939
No. 1438] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2017/VAISAKHA 29, 1939

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2017

का. आ. 1627(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 419(अ), दिनांकित 9 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 [नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39] के रीवा - सीधी खंड को मध्य प्रदेश राज्य सरकार (जो इसके बाद ''प्राधिकरण'' के रूप में उल्लिखित है) को सुपुर्द कर दिया है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए फीस संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838(अ), दिनांकित 05 दिसंबर, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 तैयार किए हैं तथा सा.का.नि. 950(अ), दिनांकित 03 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), दिनांकित 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), दिनांकित 12 अक्टूबर, 2011 और सा.का.नि. 778(अ), दिनांकित 16 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), दिनांकित 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), दिनांकित 21 नवंबर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), दिनांकित 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), दिनांकित 8 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), दिनांकित 2 दिसंबर 2016 और सा.का.नि. 248(अ), दिनांकित 14 मार्च, 2017 के तहत संशोधित किए हैं;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित और समय-समय पर संशोधित (जो इसके आगे ''उक्त नियम'' के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75ई [नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39] के मौजूदा किमी 2/800 से मौजूदा किमी 33/200 और मौजूदा किमी 55/400 से किमी 83/400 तक के रीवा - सीधी खंड के उपयोग के लिए, पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग हेतु 42.592 किमी [0.608 किमी की

समतुल्य लंबाई सहित 0.608 किमी की संरचना (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) को छोड़कर] निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर की 60% की दर से तथा निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 14.600 किमी डिजाइन लंबाई वाले बाइपासों के लिए आधार दर की 90% दर से फीस (इसके आगे 'आधार दर' के रूप में उल्लिखित है) उदगृहीत करती है तथा प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-I

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान-योग्य होगी:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	दर, जिस पर फीस संदेय है।
रीवा जिले में खड्डा गांव के निकट रारा-75ई [नया रारा सं. 39] के मौजूदा किमी 8+800 [डिजाइन चैनेज किमी 6+000] पर	25.70 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
सीधी जिले में सोनवरसा गांव के निकट रारा-75ई [नया रारा सं. 39] के मौजूदा किमी 69+600 [डिजाइन चैनेज किमी 58+800] पर	16.892 किमी [नीचे पैरा 3 में दर्शाई गई 0.608 किमी लंबी अवसंरचनाओं को छोड़कर]	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर 10 करोड़ अथवा अधिक लागत वाले दो बाइपासों के प्रयोग हेतु फीस भी देय और भुगतान-योग्य होगी:-

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस का भुगतान किया जाएगा		भुगतान-योग्य फीस दर
		लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	
रीवा जिले में खड्डा गांव के निकट रारा-75ई [नई रारा सं. 39] के मौजूदा किमी 8+800 [डिजाइन चैनेज किमी 6+000] पर	रारा-75ई [नई रारा सं. 39] का मौजूदा किमी 20+900 [डिजाइन चैनेज किमी 19.00] और मौजूदा किमी 25+500 [डिजाइन चैनेज किमी 23+600] पर मिलने वाला गढ़ बाइपास	4.60 किमी	13.27	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90% (अर्थात् आधार दरों के 60% का 1.5 गुणा)
सीधी जिले में सोनवरसा गांव के निकट रारा-75ई [नई रारा सं. 39] के मौजूदा किमी 69+600 [डिजाइन चैनेज किमी 58+800] पर	रारा-75ई [नई रारा सं. 39] का मौजूदा किमी 74+200 [डिजाइन चैनेज किमी 62+150] और मौजूदा किमी 83+400 [डिजाइन चैनेज किमी 72+150] पर मिलने वाला सीधी बाइपास	10.00 किमी	28.86	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90% (अर्थात् आधार दरों के 60% का 1.5 गुणा)

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, टोल प्लाजा के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और भुगतान-योग्य होगी:-

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	भुगतान योग्य फीस दर
सीधी जिले में सोनवरसा गांव के निकट रारा-75ई [नई रारा सं. 39] के मौजूदा किमी 69+600 [डिजाइन चैनेज किमी 58+800] पर	0.608 किमी	6.08 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	कुल लंबाई	4.006 किमी	

*60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाएं	लंबाई (किमी)
1	मौजूदा किमी 57/4 [डिजाइन चैनेज किमी 46+268] पर बड़ा पुल (सोन पुल)	0.608

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2017-18 के लिए 245.00 रु. (दो सौ पैंतालीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है ।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

भुगतान-योग्य धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों ।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के लिए अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य 10 गुणा फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता ।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी ।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी ।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

11. परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 434.87 करोड़ रु. है । पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के अंतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है । अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा । प्राप्त होने वाली प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और उक्त नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी ।

[आरडब्ल्यू/एनएच-37016/10/2016/एनएचडीपी-IVए]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2017

S.O. 1627(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 419 (E) dated 9th February, 2016 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the Rewa-Sidhi section of National Highway No. 75 [New National Highway No. 39] in the State of Madhya Pradesh to the State Government of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, *vide* G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October,2011, G.S.R 778 (E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015, G.S.R 585(E) dated 8th June, 2016, G.S.R 1114(E) dated 2nd December, 2016 and G.S.R 248(E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 42.592 km [excluding 0.608 km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 6.08 km] for use of the Two Lane with paved shoulders section (hereinafter referred to as "base rate") and at 90% of the base rate for the bypasses having design length of 14.600 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, for the use of the Rewa-Sidhi section of National Highway No. 75E [New National Highway No. 39] from existing km 2/800 to existing km 33/200 and existing km 55/400 to existing km 83/400 of NH-75E and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At existing km 8+800 [design chainage km 6+000] of NH-75E [New NH No. 39] near village Khadda in Rewa district	25.70 km	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At existing km 69+600 [design chainage km 58+800] of NH-75E [New NH No. 39] near village Sonvarsaa in Sidhi district	16.892 km [excluding 0.608 km length of structures indicated in Para-3 below]	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in km)	Cost (Rs. in Crore)	
At existing km 8+800 [design chainage km 6+000] of NH-75E [New NH No. 39] near village Khadda in Rewa district	Gurh Bypass taking off at existing km 20+900 [Design chainage km 19.00] and merging at existing km 25+500 [design chainage km 23+600] of NH-75E [New NH No. 39]	4.60 km	13.27	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above
At existing km 69+600 [design chainage km 58+800] of NH-75E [New NH No. 39] near village Sonvarsaa in Sidhi district	Sidhi Bypass taking off at existing km 74+200 [Design chainage km 62+150] and merging at existing km 83+400 [design chainage km 72+150] of NH-75E [New NH No. 39]	10.00 km	28.86	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At existing km 69+900 [design chainage km 58+800] of NH-75E [New NH No. 39] near village Sonvarsaa in Sidhi district	0.608 km	6.08 km	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total length	4.006 km	

S. No.	Structure having length more than 60 m	Length (Km.)
1	Major bridge [Sone Bridge] at existing km 57/4 [Design Chainage km 46+268]	0.608

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2017-18 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

* Details of structure having length more than 60m is as under:

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 434.87 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH-37016/10/2016/NHDP-IVA]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.20 16:05:34 +05'30'